क्रम-संख्या—123

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 23 जुलाई, 2021
श्रावण 1, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—10

———————

संख्या 266/आठ-10–21-02 गठन-2007
लखनऊ, 23 जुलाई, 2021

————————

अधिसूचना

प०आ०—233

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित तथा परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (3) (ञ) एवं उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 1986) की धारा 4 की उपधारा (3) (ञ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या 132/आठ-10–20-02 गठन-2007, दिनांक 28.02.2020 द्वारा प्रदेश के विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बोर्ड में सदस्य नामित किये गए हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड में नामित सदस्य श्री महेंद्र गुप्ता एवं गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड में नामित सदस्य श्री अनिल गुप्ता के आकस्मिक निधन से रिक्त पदों पर निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ 2 में उल्लिखित विकास प्राधिकरणों के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी होने के दिनांक से नाम निर्देशित (nominate) किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

अनुसूची

क्रम	विकास प्राधिकरण का नाम	नाम	पिता का नाम	पता
1	2	3	4	5
1	मुरादाबाद	श्री विकास जैन	स्व0 सतीश चन्द्र जैन	श्री राम विहार कालोनी, कचहरी प्रांगण, जनपद मुरादाबाद
2	गोरखपुर	श्री दुर्गेश बजाज	स्व0 बालकृष्ण बजाज	मिर्जापुर चौक, पोस्ट गीता प्रेस, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर

आज्ञा से,
रणविजय सिंह,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 193 राजपत्र–2021–(381)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा0 आवास एवं शहरी नियोजन–2021–(382)–125 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

193 RPH (Folder Awas) 2021 Data 4e